


सिंहराज / सुभाष - 03/2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12/9/24	<p>पत्रावली पत्र। अपील/रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता न जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांत प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कंध होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल इफतर हो।</p> <p></p> <p><b>सुप्रबन्ध अधिकारी एवं</b> <b>पदेन राजस्व अपील अधिकारी</b> <b>सीकर (कैम्प हुन्डान)</b></p>	